न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 249/2021 निर्णय दिनांक :– 23.08.2022

उनवानी वाद :

1. आशाकुमारी पुत्री सुवालाल जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. प्रभु पुत्र प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पुष्पा पत्नी प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. खानाराम माता बरदी पुत्री नन्दा जाति माली उम्र बालिग निवासी खणूज तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
5. मोहनी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. रामप्यारी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सोहनी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. हीरा पुत्र प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–
श्री रमेश चन्द शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

तहसीलदार दूनी

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वादी के तथ्य इस प्रकार है कि

नन्दा पुत्र चन्द्रा माली (मृतक)

प्रतापा पुत्र (मृतक)	हजारी (लाओलाद फोत)	रामदेव (लाओलाद फोत)	बरदी पुत्री (मृतक)

सुवा पुत्र (मृतक)	प्रभू पुत्र	हीरा पुत्र	मोहनी पुत्री	सोहनी पुत्री	रामप्यारी पुत्री	पुष्पा पत्नि

आशा पुत्री

रामा पुत्र चन्द्रा एवं नन्दा पुत्र चन्द्रा एक ही परिवार के सगे भाई थे जिसमें रामा लाऔलाद फोत हो गया था जिसका एकमात्र वारिस नन्दा पुत्र चन्द्रा था तथा नन्दा पुत्र चन्द्रा की मृत्यु के बाद वादीगण मृतक नन्दा के एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है। स्व0 नन्दा जी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0नं0 433 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 464 रकबा 1.14 है0 कुल किता 2, कुल रकबा 1.77 है0 वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में नन्दा पुत्र चन्द्रा माली के स्थान पर चन्द्रा पुत्र नन्दा हो रखा है जो गलत है। चन्द्रा, नंदा का पुत्र नही है बल्कि नन्दा, चन्द्रा का पुत्र है। ग्राम आवां में चन्द्रा पुत्र नंदा माली नाम का कोई व्यक्ति नही था। वाद वर्णित आराजीयात के अलावा रामा, नन्दा पुत्र चन्द्रा माली की अन्य खातेदारी की जमीन ख0नं0 1369, 1370 व 1371 कुल किता 3 कुल रकबा 1.49 है0 वाके ग्राम आवां तहसील दूनी जिला–टोंक राज0 में स्थित है जिसमें पूर्व में पर्चा लगान में रामा, नन्दा पि. चन्द्रा माली अंकित है तथा रामा व नन्दा की मृत्यु के बाद उक्त जमीन वादीगण की खातेदारी में अंकित हो गई है। वाद वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में उक्त गलत अंकन के कारण वाद वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण वादीगण के हक में नही खुल पाया है जिससे वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा वादीगण को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है। वाद वर्णित आराजीयात पर पूर्व में नन्दा पुत्र चन्द्रा माली का कब्जा था तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी काबिज है इस कारण न्यायहित में राजस्व रिकार्ड में चन्द्रा पुत्र नन्दा माली का जो गलत अंकन हो रहा है उसे दुरूस्त किया जाना एवं वादीगण को वाद वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।वाद कारण आप से पूर्व उत्पन्न हुआ जब

[signature]

वादीगण हल्का पटवारी के पास अपने हक में भूमि का नामांतकरण खुलवाने के लिए गये परन्तु वाद वर्णित आराजीयात में चन्द्रा पुत्र नन्दा का गलत अंकन होने से नामांतकरण नही खुल पाया तब से लगातार उत्पन्न हो रहा है। वाद वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होन से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है।

प्रतिवादी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादी तहसीलदार दूनी ने जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार से पेश है:-चरण संख्या 1 वादी द्वारा प्रस्तुत सजरा वादी से सम्बन्धित है। चरण संख्या 2 अस्वीकार है, वादी से सम्बन्धित है। चरण संख्या 3 अस्वीकार है। चरण संख्या 4 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है। चरण संख्या 5 राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्वीकार है। चरण संख्या 6 वादी से सम्बन्धित है। अस्वीकार है। चरण नं. 7 न्यायालय से सम्बन्धित है। चरण संख्या 8 अस्वीकार है। विशेषः-राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रा पुत्र नन्दा के नाम का अंकन है। बन्दोबस्त (संलग्न), पर्चा लगान व वर्तमान जमाबन्दी में भी चन्दा पुत्र नन्दा का अंकन है। वादी राजस्व रिकॉर्ड में नन्दा पुत्र चन्द्रा दर्ज कराना चाहता है।अन्य दस्तावेज पर्चा लगान नन्दा पि0 चन्द्रा का अंकन है। मृत्यु प्रमाण पत्र में नन्दा के पिता का चन्द्रा का अंकन है। वाद स्वीकार योग्य है।

अधिवक्ता वादी ने सीधे ही बहस की प्रार्थना की जिसे स्वीकार किया गया।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक चन्द्रा के दो पुत्र रामा व नन्दा हुए। रामा भी लाओलाद फोत हो गया जिसका एकमात्र वारिस नन्दा ही थां। नन्दा पुत्र चन्द्रा की मृत्यु के बाद वादीगण ही नन्दा के वारिसान है। वाद वर्णित आराजी में नन्दा का कब्जाकाश्त था तथा नन्दा की मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जाकाश्त है और वर्तमान में काबिज काश्तकार है। नन्दा की मृत्यु के बाद राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से चन्द्रा पुत्र नन्दा का अंकन हो गया जो गलत हैं। जबकि चन्द्रा पुत्र नन्दा नाम का कोई व्यक्ति ग्राम में नहीं रहता है। उक्त त्रुटि के कारण आज तक भी नन्दा पुत्र चन्द्रा की मृत्यु का फोती नामान्तकरण नन्दा के नाम नहीं खुला है जिसके कारण वादीगण उक्त आराजी पर सरकारी योजनाओ का

...भ नहीं ले पा रहा है। अतः काश्तकार के हितो को ध्यान में रखते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर ग्राम रामपुरा पटवार हल्का आंवा की आराजी में चन्दा पुत्र नन्दा माली के नाम के अंकन स्थान पर सही नाम नन्दा पुत्र चन्द्रा दर्ज राजस्व करने की उद्‌घोषणा की जावे।

पेरोकार सरकार बहस के दौरान अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पेरोकार सरकार के जवाब व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज वाके ग्राम रामपुरा का भू–प्रबन्ध का पर्चा लगान सम्वत 2046–65 दिनांक 1.07.86 से दिनांक 30.06.2006 क पर्चा लगान में चन्द्रा पुत्र नन्दा माली का अंकन है। अन्य वाके ग्राम आंवा का भू– प्रबन्ध का पर्चा लगान सम्वत 2046–65 दिनांक 1.07.86 से दिनांक 30.06.2006 में रामा नन्दा पि. चन्द्रा माली सा. देह खातेदार का अंकन है। ग्राम पंचायत आंवा के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाण पंत्र दिनांक 23.03.2006 में प्रताप के पिता का नाम नन्दा माली का अंकन है। इसी तरह मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.11 में रामदेव के पिता का नाम नन्दा माली व मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 28.01.07 में हजारी लाल के पिता का नाम में भी नन्दा माली का अंकन है। वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का आंवा जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख. नं. 433 व 464 में चन्दा पुत्र नन्दा का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम आंवा के खाता संख्या 18, 19 व 20 में बरदी व रामदेव के पिता के रूप में नन्दा के नाम का अंकन है, बरदी व रामदेव सजरे अनुसार नन्दा के पुत्र है, शेष वादीगण प्रतापा के वारिसान है जो सजरे अनुसार नन्दा का पुत्र था। उक्त राजस्व व अन्य सरकारी दस्तावेजो से जाहिर होता है कि नन्दा पुत्र चन्दा के स्थान पर ग्राम रामपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से चन्दा पुत्र नन्दा का अंकन हो गया है जिसको दुरूस्त/सही करवाने के लिए वादीगण ने वाद पेश किया है। वादीगण व विद्वान वादीगण ने तार्किक रूप से वाद का बखूबी साबित किया है। तहसीलदार दूनी ने भी अपने जवाब में वाद का समर्थ किया है तथा वाद को स्वीकार योग्य बताया है। अतः वाके ग्राम रामपुरा पटवार हल्का आंवा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 36 में दर्ज ख. नं. 433 व 464 में दर्ज खातेदार नाम चन्दा पुत्र नन्दा का विलोपन किया जाता है तथा चन्दा पुत्र नन्दा के स्थान पर नन्दा पुत्र चन्द्रा को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व वर्तमान जमाबन्दी में नन्दा पुत्र चन्द्रा के वारिसान प्रतापा व

बरदी के पुत्रों / पुत्रियों अर्थात वादीगण को खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की उद्घोषणा की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी वाद :

1. आशाकुमारी पुत्री सुवालाल जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. प्रभु पुत्र प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पुष्पा पत्नी प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. खानाराम माता बरदी पुत्री नन्दा जाति माली उम्र बालिग निवासी खणूज तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज0
5. मोहनी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
6. रामप्यारी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. सोहनी पुत्री प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. हीरा पुत्र प्रतापा जाति माली उम्र बालिग निवासी आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

तहसीलदार जी दूनी जिला टोंक राज0

— प्रतिवादीगण—

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नं. 249 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री रमेश चन्द शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू प्रतिवादी तहसीलदार दूनी मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

…के ग्राम रामपुरा पटवार हल्का आंवा की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 36 में दर्ज ख. नं. 433 व 464 में दर्ज खातेदार नाम चन्दा पुत्र नन्दा का विलोपन किया जाता है तथा चन्दा पुत्र नन्दा के स्थान पर नन्दा पुत्र चन्द्रा को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व वर्तमान जमाबन्दी में नन्दा पुत्र चन्द्रा के वारिसान प्रतापा व बरदी के पुत्रों/पुत्रियों अर्थात वादीगण को खातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की उद्घोषणा की जाती है।

निजी.......................................मुवंलिक.......................................बाबत् ....
....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ....
फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 08 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....
ओहदा ....

मुहर

उपखण्ड अधिकारी

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए